



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP20007536162300V

Government of Uttar Pradesh

91

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP20007536162300V
 Certificate Issued Date : 29-Sep-2023 04:30 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800453146747820266V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-244 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-
 MAGALS I TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MEVALAL SO GAJADHAR
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,66,080
 (Four Lakh Sixty Five Thousand And Eighty only)



Please write or type below this line

मेवाल सो गजधर

Handwritten signature

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



0007065953

Statutory Alert:

- The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.stampsonline.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
- Any discrepancy in the details of the Certificate and as available on the website/ Mobile App should be reported to the concerned authority.
- This act of checking the legitimacy is on the part of the certificate holder.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





-2-



अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
244	1662690244000012	0.1850
273	1662690273000012	0.1580
253	1662690253000012	0.1130

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.3020 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
244	0.0875	चकमार्ग सीमा ग्राम सलारपुर	गाली गाटा संख्या-266	नाली गाटा संख्या 243	गाटा संख्या 245
273	0.1580	चकमार्ग गाटा संख्या 269	गाटा संख्या-282	गाटा संख्या 272	गाटा संख्या 274
253	0.0565	चकमार्ग सीमा ग्राम सलारपुर	गाटा संख्या-254	चकमार्ग गाटा संख्या 252	गाटा संख्या 255

मे.प. 10-1-19



उप निबन्धक
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 – विक्रीत सम्पत्ति का विवरण –

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु) हेक्टेयर (सकिल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
244	0.3020	मेवालाल	गजाधर	0.0875	19,25,000.00	19,25,000.00
273		मेवालाल	गजाधर	0.1580	34,76,000.00	34,76,000.00
253		मेवालाल	गजाधर	0.0565	12,43,000.00	12,43,000.00
			योग-	0.3020	66,44,000.00	66,44,000.00

8 – अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण – ₹0 4,65,080.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण –

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
मेवालाल	गजाधर	2060 1204 6317	IRKPM4840K	9452490290	कृषि	चिरा मोहम्मद पुर सोहावल अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।


मेवालाल


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का मुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।


मे. श्री. लाल


उप राज्य
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मेवालाल	गजाधर	BARODA U.P. GRAMEEN BANK	BARB0BUPGBX	55080100012957	66,44,000.00
				Total:		66,44,000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (छियासठ लाख चौवालिस हजार रूपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गृहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



मेवालाल

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
दिनेश कुमार	मेवालाल	9621008730	कृषि	चिरा मोहम्मद पुर सोहावल अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवृद्ध कोई बात या भूवृद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।



मेवालाल

उपरोक्त
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्कतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोरा धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।


मि. श्री. श्री. श्री.


उप-सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

अनुसूची

ग्राम— फिरोजपुर उपरहार, परगना— मगलसी तहसील—सोहावल जिला—अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई मूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
69	244	0.0875	-	19,25,000.00	-	-
70	273	0.1580	-	34,76,000.00	-	-
71	253	0.0585	-	12,43,000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	19,25,000.00	मेवालाल	गजाधर	चिरा मोहम्मद पुर सोहावल अयोध्या
-	-	34,76,000.00	मेवालाल	गजाधर	चिरा मोहम्मद पुर सोहावल अयोध्या
-	-	12,43,000.00	मेवालाल	गजाधर	चिरा मोहम्मद पुर सोहावल अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

मेवालाल


 उपेन्द्र
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007806

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6372

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 6644000 स्टाम्प शुल्क- 465080 बाजारी मूल्य- 6644000 पंजीकरण शुल्क - 66440 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 66500

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि


श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/09/2023 एवं
05:28:27 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


रजिस्ट्रार


उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023


निबंधक लिपिक
29/09/2023

प्रिंट करे




• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	मेवालाल	राजाधर	चिरा मोहम्मद पुर सोहावल अयोध्या	


गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	


गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
विनेश कुमार	मेवालाल	9621008730	कृषि	चिरा मोहम्मद पुर सोहावल अयोध्या	





क्रय निकाय की ओर से अतिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6372

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उपर
विक्रेता: 1

श्री मेवा लाल, पुत्र श्री गजाधर

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

मेवा लाल




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शारद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किए। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

ओम प्रकाश



श्री दिनेश कुमार, पुत्र श्री मेवालात

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

ने की प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के अंगुठे सिमझनुसार किए गए हैं।
दिनांक: 29/09/2023



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
29/09/2023

प्रिंट करे

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
244	मेवालाल	गजाधर	0.0875	मेवालाल
273	मेवालाल	गजाधर	0.1580	मेवालाल
253	मेवालाल	गजाधर	0.0565	मेवालाल

निष्पादन का दिनांक- 25/09/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।




मेवालाल

उप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007806

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 203 से 222 तक क्रमांक 6372 पर दिनांक 29/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह,
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP28824731688075V

Government of Uttar Pradesh

92

e-Stamp



Certificate No.

: IN-UP28824731688075V

Certificate Issued Date

: 29-Sep-2023 04:46 PM

Account Reference

: NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUP1414800463390090895368V

Purchased by

: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document

: Article 23 Conveyance

Property Description

: GATA NO-114 MALJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.)

: RAJ BAKSH URF RAJ BAKSH YADAV SO LALTA PRASAD

First Party

: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Second Party

: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By

: 2,49,480

Stamp Duty Amount(Rs.)

: (Two Lakh Forty Nine Thousand Four Hundred And Eighty only)



Please write or type below this line

राजबकश यदव सोलता प्रसाद

[Signature]

उप सचिव
अवैधान्त विकास प्राधिकरण, अयोध्या



0007065954

Statutory Affect

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.issuance.gov or using the Same Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details in this Certificate and as available on the website / Mobile App render it invalid.
2. The cost of checking the legitimacy is on the terms of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
114	1662690114000012	0.3240

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.162 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
114	0.162	नाली	गा0सं0-113	चक्रमार्ग गा0सं0- 111	गा0सं0-122

2057
211

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
114	0.162	राज बरस उर्फ राज बरस यादव	लालता प्रसाद	0.162	3564000.00	3564000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 249480.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राज बरस उर्फ राज बरस यादव	लालता प्रसाद	455723117466	BQYPY9116L	8417897077	कृषि	पूरे भवानीपुर, फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -


राज बरस उर्फ राज बरस यादव


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -


21/3/2015
21/5/15


उप अधिकारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राज बचश उर्फ राज बचश यादव	लावला प्रसाद	बड़ौदा यू.पी.0 ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	5530010001236	3564000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (पैंतिस लाख चौसठ हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोंहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
श्यामसुन्दर	जी-हनुमान	9930316697	कृषि	पुरेजवानी चिरी



21/11/20

श्यामसुन्दर

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवृद्ध कोई बात या भूवृद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल







करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0084	114	0.162		3564000.00	-	-

भूदंड अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		3564000.00	राज बहा उर्फ राज बक्श यादव	लालता प्रसाद	पुरे भवानीपुर, फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।



Handwritten signature and date: 21/12/20

Handwritten signature and text: अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6371

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3564000 स्टाम्प शुल्क- 249480 बाजारी मूल्य - 3564000 पंजीकरण शुल्क - 35640 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 35700

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/09/2023 एवं
05:10:31 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुम सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023


निबंधक लिपिक
29/09/2023

प्रिंट करे



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राज हरश उर्फ राज बरश यादव	लालता प्रसाद	पूरे भवानीपुर, फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
श्याम कुमार	ना. हनुमान	9936376697	कृषि	अपनीपुरा	

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या


श्याम कुमार

वर्ही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6371

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री राज बक्श उर्फ राज बक्श पादव, पुत्र श्री सालता प्रसाद

निवासी: पूरे भवानीपुर, फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

२११९५५
२११९५५



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबंसी प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री श्याम कुमार, पुत्र श्री नानू प्रसाद

निवासी: पूरे भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

२११९५५



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

29/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

29/09/2023



के की प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठि नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
114	राज कनका उर्फ राज कनका यादव	लालता प्रसाद	0.162	राज कनका 21/2/24

निष्पादन का दिनांक:- 29/09/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



राज कनका
21/2/24


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007804

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 185 से 202 तक क्रमांक
6371 पर दिनांक 29/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



सहूल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

29/09/2023





INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP28649413658322V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP28649413658322V
 Certificate Issued Date : 29-Sep-2023 03:40 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800453034029922106V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-218 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-
 MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RAM ABHILAKH SO DULARE URF RAM DULARE
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 5,35,990
 (Five Lakh Thirty Five Thousand Nine Hundred And Ninety only)



Please verify or type below this link

215 कानूनवाला



उप अधिकारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065948

Statutory Aft:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified on 'www.stampsamp.com' or using a Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India Ltd. Any discrepancy to be reported on the website and as available on the website of Stamp Mobile App within the call.
2. The person checking the authenticity is on the term of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-


गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
218	1662690218000012	0.0520
109	1662690109000012	0.2590
216	1662690216000012	0.2080
117	1662690117000012	0.1960

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.3575 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
218	0.026	नाली	गा0सं0-216	गा0सं0- 217	गा0सं0-219
109	0.1295	नाली	गा0सं0-110	गा0सं0- 107 व 108	चकमार्ग गा0सं0- 111
216	0.104	गा0सं0-217 व 218	गा0सं0-215	चकमार्ग गा0सं0- 214	नाली गा0सं0- 219
117	0.098	चकमार्ग गा0सं0- 116/305	नाली	चकमार्ग गा0सं0- 106	गा0सं0-116


 राम उपाध्याय


 उप निबन्धक
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

7002



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
218	0.026	राम अभिलाष	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.026	364000.00	364000.00
109	0.1295	राम अभिलाष	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.1295	2849000.00	2849000.00
216	0.104	राम अभिलाष	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.104	2288000.00	2288000.00
117	0.098	राम अभिलाष	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.098	2156000.00	2156000.00
			योग	0.3575	7857000.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 535990.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -


विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राम अभिलाष	दुलारे उर्फ राम दुलारे	577147371184	BPDPY6654P	9793288701	कृषि	फिरोजापुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -


 राम अभिलाष


 उपसचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -



राम कान्त (व)

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राम अभिलाष	दुलारे लाल राम दुलारे	बडोदा यू.पी.0 ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100008236	7657000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (छियत्तर लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिग्रस्त अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
अजय कुमार यादव	राम अभिलाष यादव	9140832831	विद्यार्थी	फिरोजपुर उपरहार सोडावल अयोध्या।



रामअभिलाष यादव



उप निधिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सनी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल



21/3/2015

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0114	218	0.026		364000.00	-	-
0114	109	0.1295		2849000.00		
0114	216	0.104		2288000.00		
0096	117	0.098		2156000.00		
भूवृद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 8)		व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)			नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10		11		
		7657000.00		राम अमिलाख	दुलारे उर्फ राम दुलारे	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।


राम अमिलाख


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007802

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6368

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 7657000 स्टाम्प शुल्क- 535990 बाजारी मूल्य - 7657000 पंजीकरण शुल्क - 76570 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग: 76630

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राव अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/09/2023 एवं
04:06:16 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक
29/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम अभिलाष	दुलारे लर्फ राम दुलारे	फिरोजपुर उपरहार सोहावल जयोध्या।	राम अभिलाष

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
अजय कुमार यादव	राम अभिलाष यादव	9140832831	विद्यार्थी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	अजय यादव

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।



राम अभिलाष

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6368


वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
चिक्रेता: 1

श्री राम अभिलाख, पुत्र श्री दुलारे उर्फ राम दुलारे
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: कृषि **राम अभिलाख**
क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी
पहचानकर्ता: 2



श्री अजय कुमार यादव, पुत्र श्री राम अभिलाख यादव
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: अध्यापन **अजय यादव**



नेकी। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निष्पन्न जगूठे नियमानुसार
लिए गये हैं
दिखायी:-



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुराग सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
29/09/2023

बिट करे

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु कृषि कृज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
218	राम अभिलाख	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.026	राम अभिलाख
109	राम अभिलाख	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.1295	राम अभिलाख
216	राम अभिलाख	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.104	राम अभिलाख
117	राम अभिलाख	दुलारे उर्फ राम दुलारे	0.098	राम अभिलाख

निष्पादन का दिनांक- 29/09/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

राम अभिलाख




उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007802

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 123 से 140 तक क्रमांक
6368 पर दिनांक 29/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

29/09/2023







अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

-2-

विक्रय पत्र
कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या 256	गाटा की यूनिट आई.डी. 1662690256000012	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 0.1100
--------------------	--	------------------------------------

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.022 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
256	0.022	चकधार्ग ग्राम सलारपुर	नाली गाटा संख्या-268	गाटा संख्या-255	गाटा संख्या-257



24/11/21

उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
256	0.022	राम उजागिर सिंह	हरि प्रताप सिंह	0.022	4,84,000.00	4,84,000.00
			योग-	0.022 0.022	4,84,000.00	4,84,000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु0 33,880.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राम उजागिर सिंह	हरि प्रताप सिंह	450240373996	BTHPS2735R	9415037140	कृषि	सलारपुर, विर्त मोहम्मदपुर, सोहावल अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



रामेश


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बंधक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।



22/1/20

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राम उज्ज्वल सिंह	हरि प्रसाद सिंह	यूनिजन बैंक	UBIN0575020	750202010001300	4,84,000.00
					योग-	4,84,000.00

कुल धनराशि शब्दों में— (चार लाख चौरासी हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण

हस्ताक्षर

२२/१२/२०

हरि प्रसाद सिंह
अतिरिक्त विक्रेता/उत्तराधिकारी





नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
मुन्नीलाल	राम बचन	8052728707	कृषि	सलारपुर, विरौ मोहम्मदपुर, सोहावल अयोध्या



मुन्नीलाल

शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।



अयोध्या

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूँकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्कतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोश धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या







- (B) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



रिजिस्ट्रार


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
21	256	0.022	-	4,84,000.00	-	-

भूवद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	4,84,000.00	राम उजागर सिंह	हरि प्रसाद सिंह	सलारपुर, चिरा मोहम्मदपुर, सोहावल अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम उजागर सिंह	हरि प्रसाद सिंह	सलारपुर, चिरा मोहम्मदपुर, सोहावल अयोध्या	राम उजागर सिंह

32, 21

उप प्रभिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007801

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6369

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 484000 स्टाम्प शुल्क- 33880 बाजारी मूल्य - 484000 पंजीकरण शुल्क - 4840 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 पौग : 4920

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/09/2023 एवं
04:04:31 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक
29/09/2023

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व0 राजबती प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मुन्नीलाल	राम बचन	8052728707	कृषि	सतारपुर, किराई मोहम्मदपुर, सोहाबत अयोध्या	मुन्नीलाल

क्रय निकाय की ओर से
अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।



२३/२६

अधिकृत
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6369

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
चिक्रेता: 1

श्री राम उजागिर सिंह, पुत्र श्री हरि प्रसाद सिंह

निवासी: सलारपुर, चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि 

चिक्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया।  की पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या


व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2




श्री मुन्नीलाल, पुत्र श्री राम बचन

निवासी: सलारपुर, चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि 



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
29/09/2023

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- किरोजपुर उपरहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहस्वातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम उजागर सिंह	हरि प्रसाद सिंह	0.022	राम उजागर सिंह

निष्पादन का दिनांक- 29/09/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



राम उजागर सिंह

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007801

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 141 से 164 तक क्रमांक 6369 पर दिनांक 29/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023





INDIA NON JUDICIAL



95

Government of Uttar Pradesh

IN-UP28621718191817V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP28621718191817V
 Certificate Issued Date : 29-Sep-2023 03:30 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800452957004648377V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-92 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RADHIKA PRASAD SO BHAGI
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 71,820
 (Seventy One Thousand Eight Hundred And Twenty only)



Please write or type below this line

राधिका प्रसाद



उप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्य

0007065946

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.ehowstamp.gov or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation in the State of Uttar Pradesh and available on the website of MHA App under its portal.
2. The cost of checking the authenticity is on the order of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





राधिका प्रसाद

-2-



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
92	1662690092000012	0.0690
108	1662690108000012	0.0960

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0550 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
92	0.0230	नाली गाटा संख्या 91	गाटा संख्या-75	गाटा संख्या 72	गाटा संख्या 78
108	0.0320	नाली	गाटा संख्या-107	बकमार्ग गाटा संख्या 106	गाटा संख्या 109



राधिका प्रसाद

उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

7800



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
92	0.0690	राधिका प्रसाद	भागी	0.0230	3,22,000.00	3,22,000.00
108	0.0960	राधिका प्रसाद	भागी	0.0320	7,04,000.00	7,04,000.00
			योग-	0.0550	10,26,000.00	10,26,000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु0 71,820.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राधिका प्रसाद	भागी	4633 2390 7013	HVGPP4664B	9616304019	गजपूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।


राधिका प्रसाद


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।



प्राधिकृत प्रमाण

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

10/11/2020



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राधिका प्रसाद	भागी	BARODA U.P. GRAMEEN BANK	BARB0BUPGBX	55300100018143	10,26,000.00
				Total :		10,26,000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (दस लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।



राधिका प्रसाद

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
विश्वनाथ यादव	शिवे श्याम यादव	7706934326	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या



विश्व

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकती। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-


साक्षी प्रसाद


अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



प्रीमियम का प्रस्ताव

उपस्थित
अपेक्षित विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संस्था का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूसवामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
89	92	0.0230	-	3,22,000.00	-	-
88	108	0.0320	-	7,04,000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	3,22,000.00	राधिका प्रसाद	भागी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या
-	-	7,04,000.00	राधिका प्रसाद	भागी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



राधिका प्रसाद


 राधिका प्रसाद

आवेदन सं०: 202300904007800

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6367

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1026000 स्टाम्प शुल्क- 71820 बाजारी मूल्य - 1026000 पंजीकरण शुल्क - 10260 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 10320

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/09/2023 एवं
04:08:03 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेंद्र सिंह

उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक
29/09/2023



• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राधिका प्रसाद	भागी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	राधिका प्रसाद

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
विश्वनाथ सादव	राधे श्याम सादव	7706934326	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	विश्वनाथ सादव



राधिका प्रसाद

क्रय निकाय के ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

दही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6367

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उपलब्ध
विक्रेता: 1

श्री राधिका प्रसाद, पुत्र श्री भागी

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

राधिका प्रसाद



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। निम्नी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजवली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

Om Prakash



श्री विश्वनाथ यादव, पुत्र श्री राधेश्याम यादव

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विश्वनाथ यादव



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
29/09/2023



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु घयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
92	राधिका प्रसाद	भागी	0.0230	राधिका प्रसाद
108	राधिका प्रसाद	भागी	0.0320	राधिका प्रसाद

निष्पादन का दिनांक:- 29/09/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



राधिका प्रसाद

उपरि
कमिश्नर विभाग प्रतिकर्षित, सोहावल

आवेदन सं०: 202300904007800

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 103 से 122 तक क्रमांक 6367 पर दिनांक 29/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023







पि.जा. सुलावा अ.स.म.प.

सुलावा अ.स.म.प.

सुलावा अ.स.म.प.

सी.आ.बा.द.

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या


जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु बशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
101	1662690101000012	0.3020

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.2359375 हेक्
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी.

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
101	0.2359375	चकनार्ग सीनाग्रान सलारपुर	गा0सं0-100	सीमाग्राम फतेहपुर सरैया	नाला गा0सं0-102



पि.जा. सुलावा अ.स.म.प.

सुलावा अ.स.म.प.

सी.आ.बा.द.

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

भाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
101	0.2359375	मुस्ताक अहमद	इराहाक	0.0755	1661000.00	1661000.00
		मुस्ताज अहमद उर्फ मुस्ताज अहमद अंसारी	इराहाक	0.0755	1661000.00	1661000.00
		सलीम उर्फ मो० सलीम	इराहाक	0.0755	1661000.00	1661000.00
		मो० असाद उर्फ मो० अबाद	मो० जलील	0.0094375	207625.00	207625.00
			योग	0.2359375	5190625.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 363370.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
मुस्ताक अहमद	इराहाक	892412628265	FBIPA1802C	9936362318	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
मुस्ताज अहमद उर्फ मुस्ताज अहमद अंसारी	इराहाक	920197782078	AIZPA0607Q	8400770265	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
सलीम उर्फ मो० सलीम	इराहाक	892997494302	IFRPS9551A	8874264715	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
मो० असाद उर्फ मो० अबाद	मो० जलील	296036044235	BQZPA8753N	7860947727	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।



उप अधिकारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण

17-25-2024, 11:00 AM

मुस्ताक अहमद

मो. सलीम

मो. असाद



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	का पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बंधक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

निष्ठा सुभाष, 31/03/15

श्री शरद कुमार

श्री. म. ली. म.

श्री. आ. बा. ट.



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ज- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मुस्ताक अहमद	इराहाक	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100007465	1661000.00
2	मुस्ताज अहमद उर्फ मुस्ताज अहमद अंसारी	इराहाक	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100001392	1661000.00
3	सलीम उर्फ मो० सलीम	इराहाक	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100011980	1661000.00
4	मो० असाद उर्फ मो० असाद	मो० जलील	पंजाब नेशनल बैंक सोहावर अयोध्या।	PUNB0991800	9918000100007568	207625.00

कुल धनराशि शब्दों में- (इक्यावन लाख नब्बे हजार छः सौ पाचीस रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलगै का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकृपण करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

नि.अ. मुस्ताक अहमद
मुस्ताज अहमद

मो. जलील

मो. असाद

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



प्रथम साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्यो राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
रमेश शर्मा	राम शर्मा	7068006310	मलदारी	पंच 2, ओ.ए.ए. 4 फ्लोर



Ramesh

शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्द कोई बात या भूवद्द किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-



उपस्थित

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

पिता का हस्ताक्षर

सुमेलन

मो. प्रकाश

मो. प्रकाश



- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक सम्भता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



नि.उ. भू.रा.अ.स.स.स.

श्री. श. श. श.

श्री. श. श.

उप. अधिकारी
अयोग्य विभागाध्यक्ष, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007811

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6375

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 5190625 स्टाम्प शुल्क- 363370 बाजारी मूल्य - 5191000 पंजीकरण शुल्क - 51910 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 51970

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/09/2023 एवं
06:20:31 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजनिम सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक
29/09/2023

प्रिंट करे




अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
	101	0.0755		1661000.00	-	-
		0.0755		1661000.00		
		0.0755		1661000.00		
		0.0094375		207625.00		
भूदान अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण			
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता	
08	09	10	11			
		1661000.00	मुस्ताक अहमद	इशहाक	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
		1661000.00	मुस्ताज अहमद उर्फ मुस्ताज अहमद अंतारी	इशहाक	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
		1661000.00	सलीम उर्फ मो० सलीम	इशहाक	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
		207625.00	मो० असाद उर्फ मो० अबाद	मो० जलील	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर मली-मांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



 नि.स. मुस्ताक उर्फ मुस्ताज अहमद
 श्री. अबाद
 श्री. असाद उर्फ मो. अबाद
 उप निवेद्य
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

पहचानकर्ता : 2

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या

29/09/2023



निबंधक लिपिक अयोध्या
29/09/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिपि गए है।
टिप्पणी:

प्रिंट करें




• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	
1	मुस्ताक अहमद	इराहाक	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
2	मुमताज अहमद उर्फ मुमताज अहमद बीसरी	इराहाक	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
3	सलीम उर्फ मो० सलीम	इराहाक	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
4	मो० असाद उर्फ मो० असाद	मो० जलील	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
राजेश	राजेश	7060006310	मजदूर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

   
मुस्ताक अहमद मुमताज अहमद सलीम मो० असाद


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।

वर्ग सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6375

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री मुस्ताक अहमद, पुत्र श्री इशहाक

निवासी: फिरोजपुर उपरहार पर0 तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2



श्री मुस्ताक अहमद उर्फ मुस्ताक अहमद अंसारी, पुत्र श्री
इशहाक

निवासी: फिरोजपुर उपरहार पर0 तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 3

मुस्ताक अहमद



श्री सलीम उर्फ मो सलीम, पुत्र श्री इशहाक

निवासी: फिरोजपुर उपरहार पर0 तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 4

मो. सलीम



श्री मो असाद उर्फ मो अबाद, पुत्र श्री मो जलील

निवासी: फिरोजपुर उपरहार पर0 तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 1

मो. असाद



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के द्वारा स्वर्णिम राज,
पुत्र श्री शारद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री रजनीश प्रदव, पुत्र श्री राम धीरज यादव




निवासी: पिरा मोहम्मदपुर पर0 तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

Rajhesh Yadav



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु घयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	
101	मुस्ताक अहमद	इराहाक	0.0755	
	मुमताज अहमद लखं मुमताज अहमद अंसारी	इराहाक	0.0755	
	सलीम लखं मोठ सलीम	इराहाक	0.0755	
	मोठ असाद लखं मोठ असाद	मोठ जलील	0.0094375	

निष्पादन का दिनांक:- 29/09/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



मुस्ताक अहमद मुमताज अहमद



सलीम




मोठ असाद

आवेदन सं०: 202300904007811

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 259 से 278 तक क्रमांक 6375 पर दिनांक 29/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

29/09/2023





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP28699450153338V

Government of Uttar Pradesh

97

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP28699450153338V
 Certificate Issued Date : 29-Sep-2023 03:58 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800453101319526032V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-92 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL, DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : HARI SHYAM SO BHAGI
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 71,820
 (Seventy One Thousand Eight Hundred And Twenty only)



Please write or type below this line

हरीश्याम



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065949

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.anshikainfo.com by using e-Stamp Mobile App at Stock Holding. Any discrepancy in the details in the Certificate will be available on the website / Mobile App and user is advised.
2. The date of checking the authenticity is on the issue of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





-2-



विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
92	1662690092000012	0.0690
108	1662690108000012	0.0960

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0550 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
92	0.0230	नाली गाटा संख्या 91	गाटा संख्या-75	गाटा संख्या 72	गाटा संख्या 78
108	0.0320	नाली	गाटा संख्या-107	चकमार्ग गाटा संख्या 106	गाटा संख्या 109

हरीश चाम

उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

2000



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
92	0.0690	हरिश्याम	भागी	0.0230	3,22,000.00	3,22,000.00
108	0.0960	हरिश्याम	भागी	0.0320	7,04,000.00	7,04,000.00
			शौन-	0.0550	10,26,000.00	10,26,000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु० 71,820.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
हरिश्याम	भागी	3001 5073 9386	BUJPH7592G	9044698645	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



 हरिश्याम



 उपसचिव

 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।



हरीश्याम

उप अधिकारी
राज्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हरिश्चाम	भागी	BARODA U.P. GRAMEEN BANK	BARB00BUPGBX	55300100018802	10,26,000.00
				Total :		10,26,000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (दस लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवौहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजदली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।




हरिश्चाम


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
विरुपनाथ यादव	रघु राम यादव	7706934326	कृषि	पिपरोजपुर उपरहार सोहाबल अय्योध्या



विरुप

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष-देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय-निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।



हरीशचन्द्र

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक सम्भता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोश धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



हरिश्च/24

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
89	92	0.0230	-	3,22,000.00	-	-
88	108	0.0320	-	7,04,000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	3,22,000.00	हरिश्चाम	भागी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या
-	-	7,04,000.00	हरिश्चाम	भागी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



हरिश्चाम

उप अधिकारी
 सप्लेक विभाग प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007803

विक्रय पत्र

दही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6370

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1026000 स्टाम्प शुल्क- 71820 बाजारी मूल्य - 1026000 पंजीकरण शुल्क - 10260 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 10320

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/09/2023 एवं
04:31:30 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेंद्र सिंह
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
29/09/2023


निबंधक लिपिक
29/09/2023

प्रिंट करें



• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	हरिश्याम	भागी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	हरिश्याम

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
विश्वनाथ यादव	राधे रवान यादव	7706934326	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	विश्वनाथ यादव



हरिश्याम

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6370

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री हरिश्याम, पुत्र श्री भागी

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

हरीश्याम

क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री विश्वनाथ यादव, पुत्र श्री राधेश्याम यादव


निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विश्वनाथ यादव

ने की प्रस्तुत नए साक्षियों के निर्वाह अंगुष्ठ निष्मानुसार
लिए गए हैं।

दिप्पणी
29/09/2023



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
29/09/2023



प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फ़िरोज़पुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
92	हरिश्याम	भागी	0.0230	हरिश्याम
108	हरिश्याम	भागी	0.0320	हरिश्याम

निष्पादन का दिनांक:- 29/09/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।




हरिश्याम

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007803

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 165 से 184 तक क्रमांक 6370 पर दिनांक 29/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



सहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/09/2023





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP26582743988094V


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



98

Certificate No. : IN-UP26582743988094V
 Certificate Issued Date : 27-Sep-2023 02:15 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP141480044877275555968V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-155 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : KAMAL KUMAR SO SEETARAM AND OTHERS
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,75,170
 (Two Lakh Seventy Five Thousand One Hundred And Seventy only)



Please write or type below this line

श. अ. मोहनपति

कमल कुमार

सुमन

कमलेश

कंचन

सुदीपा

उपनिर्देशक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065918

Statutory Alert

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.e-stamp.in or using e-Stamp Mobile App of Bank Holding. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The duty to checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.





निष्ठा
सिमा
श

कामरान्

पूरे

कामरान्

कंचन

7561

सुप्रीमा

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या


जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार +, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
155	1662690155000012	0.1640
76	1662690078000012	0.2470
45	1662690045000021	0.0890
160	1662690160000012	0.0690

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.082,0.105,0.029666 व 0.01725 हेक्ठ
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
155	0.082	चकमार्ग गाठ सं०-154	गाठ सं०-157	गाठ सं०-156 व 123	गाठ सं०-158
76	0.105	गाठ सं०-91 नाली	गाठ सं०-76	गाठ सं०-92	गाठ सं०-77
45	0.029666	गाठ सं०-46	गाठ सं०-46 व 45	गाठ सं०-46	गाठ सं०-44
160	0.01725	गाठ सं०-159	गाठ सं०-157	गाठ सं०-157 व 159 का क्षेत्रफल	गाठ सं०-161



नि.अ. श्रीनमती

नरकमकुमार

Pranodas

कामेश्वर कंचन सुप्रीमा

उप.सचिव
कार्यालय प्राधिकरण,



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
155	0.082	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.011714	257708.00	257708.00
155	0.082	कमल कुमार	सीताराम	0.011714	257708.00	257708.00
155	0.082	प्रेमदास	सीताराम	0.011714	257708.00	257708.00
155	0.082	कमलेश	सीताराम	0.011714	257708.00	257708.00
155	0.082	कंचन	सीताराम	0.011714	257708.00	257708.00
155	0.082	सुदामा कुमारी	सीताराम	0.011714	257708.00	257708.00
155	0.082	अंजली नाबालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.011714	257708.00	257708.00
78	0.105	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.105	1470000.00	1470000.00
45	0.029666	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.004238	59332.00	59332.00
45	0.029666	कमल कुमार	सीताराम	0.004238	59332.00	59332.00
45	0.029666	प्रेमदास	सीताराम	0.004238	59332.00	59332.00
45	0.029666	कमलेश	सीताराम	0.004238	59332.00	59332.00
45	0.029666	कंचन	सीताराम	0.004238	59332.00	59332.00
45	0.029666	सुदामा कुमारी	सीताराम	0.004238	59332.00	59332.00
45	0.029666	अंजली नाबालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.004238	59332.00	59332.00
160	0.01725	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.002464	34496.00	34496.00
160	0.01725	कमल कुमार	सीताराम	0.002464	34496.00	34496.00
160	0.01725	प्रेमदास	सीताराम	0.002464	34496.00	34496.00
160	0.01725	कमलेश	सीताराम	0.002464	34496.00	34496.00
160	0.01725	कंचन	सीताराम	0.002464	34496.00	34496.00
160	0.01725	सुदामा कुमारी	सीताराम	0.002464	34496.00	34496.00
160	0.01725	अंजली नाबालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.002464	34496.00	34496.00
					योग 0.231074	3930752.00



सोनपति

Kamal Das

कमलेश

कंचन

सुदामा

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 275170.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	772913260412	NXVPS4069G	9936994823	ग्रहणी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
कमल कुमार	सीताराम	344041134482	HRVPK2532Q	8127779731	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
प्रेमदास	सीताराम	414364243568		9936994823	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
कमलेश	सीताराम	623419257553	KUCPK5429R	9936994823	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
वचन	सीताराम	529303907529		9936994823	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
सुदामा कुमारी	सीताराम	422415552842		9936994823	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
अंजली नाथसिंग रातिका स्वयं माला सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	273173370448		9936994823	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नाभित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7807778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।


सोनपति



कमलकुमार


प्रेमदास


कमलेश


वचन


सुदामा


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100000082	1821536.00
2	कमल कुमार	सीताराम	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक	BARB0BUPGBX	55300100013155	351536.00

1- श्री. सोनपति
 2- कमल कुमार
 3- सीताराम
 4- कमल कुमार
 5- कंचन
 6- सुदीप
 7- उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



3	प्रेमदास	सीताराम	बड़ीदा कुपी0 ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100012478	351536.00
4	कमलेश	सीताराम	बड़ीदा कुपी0 ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100009410	351536.00
5	कंचन	सीताराम	बड़ीदा कुपी0 ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100019522	351536.00
6	सुदामा कुमारी	सीताराम	बड़ीदा कुपी0 ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100011219	351536.00
7	अंजली नाथालिंग रांरक्षिका स्वयं माता सोनापति उर्फ सोनापति	सीताराम	बड़ीदा कुपी0 ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100000082	351536.00
				Total		3930752.00

कुल धनराशि शब्दों में- (उन्तालिस लाख तीस हजार सात सौ बावन रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

उपरोक्त
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

21/3/24


सोनापति
कमलेश
कंचन



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
राजाराज	शंकर	9936994823	कृषि	फिरोजपुर, जिला 212102



रा.रा. राजाराज

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 18 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर, सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।



उप अधिकारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपखण्ड परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

उप अधिकारी
अर्थोन्नयन विकास प्राधिकरण, अयोध्या

मगलसी
Kamdas
कंचन
सुधामा



खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00015	155	0.082	-	257708.00	-	-
	155	0.082	-	257708.00	-	-
	155	0.082	-	257708.00	-	-
	155	0.082	-	257708.00	-	-
	155	0.082	-	257708.00	-	-
	155	0.082	-	257708.00	-	-
	155	0.082	-	257708.00	-	-
0061	78	0.105	-	1470000.00	-	-
00177	45	0.029666	-	59332.00	-	-
	45	0.029666	-	59332.00	-	-
	45	0.029666	-	59332.00	-	-
	45	0.029666	-	59332.00	-	-
	45	0.029666	-	59332.00	-	-
	45	0.029666	-	59332.00	-	-
	45	0.029666	-	59332.00	-	-
00162	160	0.01725	-	34496.00	-	-
	160	0.01725	-	34496.00	-	-
	160	0.01725	-	34496.00	-	-
	160	0.01725	-	34496.00	-	-
	160	0.01725	-	34496.00	-	-
	160	0.01725	-	34496.00	-	-
	160	0.01725	-	34496.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		1821536.00	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

सोनपति उर्फ सोनापति

रामदेव उर्फ रामदेव

कचन

सुदामा

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007561

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6417

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3930752 स्टाम्प शुल्क- 275170 बाजारी मूल्य - 3931000 पंजीकरण शुल्क - 39310 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 39390

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री. अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/09/2023 एवं
03:19:10 PM बजे
निबंधन हेतु देखा किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहायल
अयोध्या
30/09/2023

निबंधक लिपिक
30/09/2023






प्रिंट करे



-	-	351536.00	कमल कुमार	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	351536.00	प्रेमदास	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	351536.00	कमलेश	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	351536.00	कंचन	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	351536.00	सुदामा कुमारी	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	351536.00	अंजली नाबालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
2	कमल कुमार	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
3	प्रेमदास	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
4	कमलेश	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
5	कंचन	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
6	सुदामा कुमारी	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
7	अंजली नाबालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी


नि.श. सोनापति


कमल कुमार


Prem das


कंचन


21/1/11


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्रीमती अंजली के द्वारा सोनपति उर्फ सोनापति, पत्नी श्री सीताराम

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

क्रमा: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली दूवे

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी


पहचानकर्ता: 2



श्री राजा राम, पुत्र श्री बल्लू

निवासी: फिरोजपुर तह 0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
30/09/2023


निबंधक लिपिक अयोध्या
30/09/2023



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
शिवराज	शिवराज	9936998823	कृषि	फिरोजपुर उपरहार परगना अयोध्या	

शिवराज
21/11/2020

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	
155	सोनपति उर्फ सोनपति	सीताराम	0.011714	
155	कमल कुमार	सीताराम	0.011714	
155	ब्रह्मदास	सीताराम	0.011714	
155	कमलेश	सीताराम	0.011714	
155	कचन	सीताराम	0.011714	

शिवराज सोनपति, कमलेश कुमार, ब्रह्मदास, कमलेश, कचन, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6417

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती सोनपति उर्फ सोनीपति, पत्नी श्री सीताराम
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: गृहिणी
विक्रेता: 2



श्री कमल कुमार, पुत्र श्री सीताराम
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: कृषि
विक्रेता: 3



श्री प्रेमदास, पुत्र श्री सीताराम
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: व्यापार
विक्रेता: 4




कुमारी कमलेश, पुत्री श्री सीताराम
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: गृहिणी
विक्रेता: 5



कुमारी कंचन, पुत्री श्री सीताराम
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: गृहिणी
विक्रेता: 6



कुमारी सुदामा, पुत्री श्री सीताराम
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: गृहिणी
विक्रेता: 7



155	सुदाना कुमारी	सीताराम	0.011714	सुदाना
155	अंजली नामालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.011714	
78	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.105	
45	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.004238	
45	कमल कुमार	सीताराम	0.004238	कमल कुमार
45	प्रेमदास	सीताराम	0.004238	Premdas
45	कमलेश	सीताराम	0.004238	कमलेश
45	कंचन	सीताराम	0.004238	कंचन
45	सुदाना कुमारी	सीताराम	0.004238	सुदाना
45	अंजली नामालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.004238	
160	सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.002464	
160	कमल कुमार	सीताराम	0.002464	कमल कुमार
160	प्रेमदास	सीताराम	0.002464	Premdas
160	कमलेश	सीताराम	0.002464	कमलेश
160	कंचन	सीताराम	0.002464	कंचन
160	सुदाना कुमारी	सीताराम	0.002464	सुदाना
160	अंजली नामालिग संरक्षिका स्वयं माता सोनपति उर्फ सोनापति	सीताराम	0.002464	

निष्ठादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या

सोनपति
कमलेश

कंचन
कमलेश

सुदाना

उप सचिव
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007561

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3146 के पृष्ठ 381 से 404 तक क्रमांक
6417 पर दिनांक 30/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
30/09/2023



At the time of registration, the applicant should have submitted the original documents and the copies of the same. The copies of the documents should be submitted to the Registrar, Ayodhya. The original documents should be submitted to the Registrar, Ayodhya. The original documents should be submitted to the Registrar, Ayodhya.

0007065976

Handwritten notes and signatures in Hindi, including a signature on the left and two circular stamps in the center.

Please write on this below this line

Handwritten signature and stamp in Hindi.



Stamp Duty Amount (Rs.)	: 20,020	(Twenty Thousand And Twenty only)
Stamp Duty Paid By	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA	
Second Party	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA	
First Party	: SANJESH YADAV SO JAGDESH PRASAD URF JAGDESHYADAV	
Consideration Price (Rs.)	: GATA NO-130 MAJUA-FIROZPUR UPAHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA	
Property Description	: Article 23 Conveyance	
Description of Document	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA	
Purchased by	: SUBIN-UP/P14148004/568473483519784V	
Unique Doc. Reference	: NEWIMPACC (SV) UPT14148004/SOHAWAL/UP-FZB	
Account Reference	: 03-Oct-2023 03:51 PM	
Certificate Issued Date	: IN-UP31407499821155V	
Certificate No.	: 6449	



69



Government of Uttar Pradesh

INDIA NON JUDICIAL





संयोजक निदेशक, अयोध्या
 अ. प्र. १३०

अ. प्र. १३०

अ. प्र. १३०

गा. संख्या १३०	वि. सं. ०.०१३	प. सं. १३५	प. सं. १३१	प. सं. १३०	प. सं. १३२
गा. संख्या	वि. सं. (वि. सं. में)	प. सं.	प. सं.	प. सं.	प. सं.

६ - वि. सं. में समाविष्ट की गई है

५ - वि. सं. में समाविष्ट की गई है - ०.०१३

गा. संख्या १३०	गा. सं. यूनिट आई.डी.	१६६२६९०१३०००००१२	०.०५२०
गा. संख्या	गा. सं. यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	


- १ - वि. सं. में समाविष्ट की गई है
- २ - गा. सं. में समाविष्ट की गई है
- ३ - व. सं. में समाविष्ट की गई है
- ४ - गा. सं. में समाविष्ट की गई है

व. सं. में समाविष्ट की गई है - क्षेत्रफल में समाविष्ट की गई है - क्षेत्रफल में समाविष्ट की गई है - क्षेत्रफल में समाविष्ट की गई है

कार्यालय उप निदेशक, अयोध्या
वि. सं. में



अ. प्र. १३०



अ. प्र. १३०







अनुसंधान विभाग, अजमेर



रिपोर्ट

(अनुसंधान विभाग)

12- अनुसंधान का विवरण -

- क- उक्त समिति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई कर्ण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदावती कार्यवाही में विवाद पर है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी रूटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासन आदेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, तखतक दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय विक्रय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले समझौते-पत्र व बांध-पत्र व अनिश्चित विक्रय विवेक का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के भूले, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अथवा विकास प्राधिकरण, अथवा, उपायों के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विवेक उक्त भूमि का है।
- ञ- स्वामित्व भू-स्वामियों से खाली प्रमाण सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कर भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सिकल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -



~~प्रमाण~~

प्रमाण

8185840596

नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्री. 6854	श्री. 6854	श्री. 6854
पिता/पति का नाम	पता	श्री. 6854	श्री. 6854	श्री. 6854	श्री. 6854



प्रमाण

द्वितीय श्रेणी विवरण :-

नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्री. 7607778903	श्री. 7607778903	श्री. 7607778903
पिता/पति का नाम	पता	श्री. 7607778903	श्री. 7607778903	श्री. 7607778903	श्री. 7607778903

प्रमाण

प्रथम श्रेणी विवरण :-

14- श्रेणी गुण

13. द्वितीय पक्ष अतिक्रमण करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।
 प्रथम पक्ष विवेका अथवा उक्तका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विवरण अथवा द्वितीय श्रेणी के अतिरिक्त अन्य किसी भी एनएचिए अथवा नाम के लिए दावा नहीं करना और न ही किसी न्यायालय में दावा दायर करेगा। यदि विवेका का उत्तराधिकारी अतिक्रमण का प्रमाण ही जमा है तथा विवेका अतिरिक्त एनएचिए स्वयं नहीं वापस करता है तब बावद प्रमाण प्रतिलिपि की रर से प्रमाण की शर्त बर्तन का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
 द्वितीय पक्ष अतिक्रमण करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।
 उक्त एनएचिए का प्रमाण विवरण के निष्पत्ति में प्रदत्त कार्य विवरण के अन्तर् RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

वृत्त एनएचिए शब्दों में - (जो नाम विवरणों द्वारा कृपया करें)

क्र	विवेका	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	एनएचिए
1	1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6	7





अर्जियाँ

अर्जियाँ

अर्जियाँ

143000.00	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ
143000.00	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ
10	09	08	11		
7.9	अर्जियाँ (₹0 में)	अर्जियाँ (₹0 में)	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ
अर्जियाँ (₹0 में)	अर्जियाँ (₹0 में)	अर्जियाँ (₹0 में)	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ

0028	130	0.013	286000.00	-	-
01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12
अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ	अर्जियाँ

अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया

अर्जियाँ

- (1) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (2) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (3) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (4) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (5) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (6) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (7) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (8) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (9) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (10) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (11) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया
- (12) अर्जियाँ प्रस्तुत करने के लिए, कृपया



ಶಿಕ್ಷಣ

03/10/2023

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

03/10/2023

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

03/10/2023

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ


ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ



ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ

संश्लेषण, आन्तरिक नियंत्रण विभाग

राजस्थान

राजस्थान

आन्तरिक नियंत्रण विभाग

राजस्थान

(राज्य शाखा)

यहाँ निम्नलिखित की जाँच की जा रही है।

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature and stamp)

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पता	व्यवसाय	क्र.सं.
6							

पिता/पति का नाम

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पता	व्यवसाय	क्र.सं.
6							

पिता/पति का नाम

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पता	व्यवसाय	क्र.सं.
1							
1							
2							
5							

• राजस्थान/राजस्थान के राजस्थान

नोट :- मैंने आपकी समझौते के आधार पर कथन किये जाने हेतु निम्नलिखित किये जाने वाले इस समझौते पर से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर पाली-गान्धि समझौते किया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

संश्लेषित प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर



हस्ताक्षर



१०/३/१९८०

निम्नलिखित - नाम
स्थान - श्रीवास्तव, अयोध्या

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का पता/विवरण	शुद्ध मूल्य	विक्रेता का नाम
1		3		4	5
130	श्रीवास्तव, अयोध्या	श्रीवास्तव, अयोध्या	श्रीवास्तव, अयोध्या	0.0065	
130	श्रीवास्तव, अयोध्या	श्रीवास्तव, अयोध्या	श्रीवास्तव, अयोध्या	0.0065	
130	श्रीवास्तव, अयोध्या	श्रीवास्तव, अयोध्या	श्रीवास्तव, अयोध्या	0.0065	

हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ-साथ विक्रेता का नाम, पता, और मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है। यह प्रमाण पत्र विक्रेता के द्वारा जारी किया गया है।



श्री श्री

03/10/2023

अधीन

उप निदेशक : सीएल

श्री श्री

रजिस्ट्रार जनरल और कानून

03/10/2023 को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया गया।

वही संख्या 1 निदेश संख्या 3148 के पृष्ठ 59 से 76 तक क्रमांक 6449 पर दिनांक

आवेदन सं.: 202300904007873



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP31467582191228V

106

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.

D 6448 / 2023

Certificate Issued Date

IN-UP31467582191228V ✓
03-Oct-2023 04:17 PM

Account Reference

NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference

SUBIN-UPUP1414800458586999764458V

Purchased by

AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document

Article 23 Conveyance

Property Description

GATA NO-234 MALJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH- SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.)

First Party

RAM LAL SO INSAN AND OTHERS

Second Party

AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By

AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA


Stamp Duty Amount(Rs.)

2,63,340
(Two Lakh Sixty Three Thousand Three Hundred And Forty only)



Please write or type below this line

श्री राम लाल सोहन एवं महादेव सोहन सहित परिवार द्वारा



मि. जे. सुमान

[Signature]

उप सचिव
विशेष विकास अधिकारी

0007065977

Statutory Alert

1. The authenticity of the Stamp portfolio issued as certified as www.stamps.gov.in or using mobile App India Stamp Book Notifier. Any discrepancy in the details on this Certificate shall be available on the website / Mobile App referred to above.
2. The user of checking the authenticity on the status of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Government Authority.





विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
234	1662690234000012	0.1710

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1710 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
234	0.1710	चकमार्ग गाटा संख्या-237	नाली गाटा संख्या-233	गाटा संख्या-122	गाटा संख्या-235

राज लाल यादव

महादेव यादव



सहदेव यादव यादव



उप निबन्धक
कार्यालय सोहावल, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सर्विस दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
234	0.1710	रामलाल	इन्सान	0.04275	9,40,500.00	9,40,500.00
		महादेव उर्फ महादेव यादव	इन्सान	0.04275	9,40,500.00	9,40,500.00
		सहदेव उर्फ सहदेव प्रताप यादव	इन्सान	0.04275	9,40,500.00	9,40,500.00
		हनुमान	जिपारलाल	0.04275	9,40,500.00	9,40,500.00
			बीज-	0.1710	37,62,000.00	37,62,000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु० 263340.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
रामलाल	इन्सान	360613532700	AIOPL4869Q	7398608880	कृषि	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या।
महादेव उर्फ महादेव यादव	इन्सान	663325278286	ARNPY5508R	9554861979	कृषि	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या।
सहदेव उर्फ सहदेव प्रताप यादव	इन्सान उर्फ इंसान यादव	679742912062		7080375712	कृषि	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या।
हनुमान	जिपारलाल	385984560987	EWXPP4209K	9125392059	कृषि	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, अयोध्या प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206 C	7607770911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

राम लाल या
महादेव यादव

सहदेव प्रताप यादव

निष्कंधुमान



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

शमशानत
महेश्वर



सहदेव प्रसाद यादव



अयोध्या विकास प्राधिकरण
दि० ३० जून



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रामलाल	इन्सान	HDFC BANK LTD.	HDFC0000862	50100660098676	9,40,500.00
2	महादेव उर्फ महादेव यादव	इन्सान	HDFC BANK LTD.	HDFC0000862	50100660098396	9,40,500.00
3	सहदेव उर्फ सहदेव प्रसाद यादव	इन्सान उर्फ इन्सान यादव	BARODA U.P. GRAMEEN BANK	BARB0BUPGBX	55300100013261	9,40,500.00
4	हनुमान	जियालाल	BARODA U.P. GRAMEEN BANK	BARB0BUPGBX	55300100018075	9,40,500.00
				Total		37,62,000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (सैंतीस लाख बासठ हजार रूपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिबश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के परचात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहयाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

रामलाल यादव
महादेव यादव
सहदेव प्रसाद यादव
हनुमान

निष्कृत

100





14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
अशोक कुमार	महादेव	9654661979	कृषि	विरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

अशोक कुमार
महादेव



अयोध्या विकास प्राधिकरण

सिद्ध धनुमान



- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोश धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

राजन्म २५ १९९९
महेश्वर यादव

महेश्वर यादव



वि० अ०
महेश्वर यादव

आवेदन सं०: 202300904007839

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6448

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3762000 स्टाम्प शुल्क- 263340 बाजारी मूल्य - 3762000 पंजीकरण शुल्क - 37620 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 37680

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि


श्री. अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/10/2023

एवं 05:22:13 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हस्ताक्षर


राहुल सिंह

उप निबंधक साहायस

अयोध्या

03/10/2023

निबंधक लिपिक

03/10/2023

प्रिंट करें




अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विच्छीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
115	234	0.1710	-	37,62,000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	9,40,500.00	रामलाल	इन्सान	विरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।
-	-	9,40,500.00	महादेव उर्फ महादेव यादव	इन्सान	विरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।
-	-	9,40,500.00	सहदेव उर्फ सहदेव प्रसाद यादव	इन्सान उर्फ इंसान यादव	विरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।
-	-	9,40,500.00	हनुमान	जिमालाल	विरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।






ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2




श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री महादेव

निवासी: चिरांगोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि अशोक कुमार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेश सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

03/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

03/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

प्रिंट करें



• मुस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	रामलाल	इन्सान	धिरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।	
2	महादेव उर्फ महादेव यादव	इन्सान	धिरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।	
3	सहदेव उर्फ सहदेव प्रसाद यादव	इन्सान उर्फ इन्सान यादव	धिरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।	
4	हनुमान	जिवालाल	धिरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
अशोक कुमार	महादेव	9554361979	कृषि	धिरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।	

रामलाल यादव
महादेव यादव



सहदेव
प्रसाद
यादव

कृषि निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।



नि० अ० कुमार
अयोध्या विकास प्राधिकरण

आवेदन सं०: 202300904007839

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6448

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रामलाल, पुत्र श्री इन्सान

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार **रामलाल**




विक्रेता: 2

श्री महादेव उर्फ महादेव यादव, पुत्र श्री इन्सान

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार **महादेव यादव**




विक्रेता: 3

श्री सहदेव उर्फ सहदेव प्रसाद यादव, पुत्र श्री इन्सान उर्फ
इन्सान यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार **सहदेव प्रसाद**



विक्रेता: 4

श्री हनुमान, पुत्र श्री जियालाल

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार




विक्रेता: 1

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के दत्तपत्र स्वयंभूराज, पुत्र
श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: लोकरी



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फ़िरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
234	रामलाल	इन्सान	0.04275	
	महादेव उर्फ महादेव यादव	इन्सान	0.04275	
	सहदेव उर्फ सहदेव प्रसाद यादव	इन्सान उर्फ इंसान यादव	0.04275	
	हनुमान	जियालाल	0.04275	

निष्पादन का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

रामलाल यादव
महादेव यादव

सहदेव प्रसाद यादव




उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, फ़िरोजपुर

आवेदन सं०: 202300904007839

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3148 के पृष्ठ 39 से 58 तक क्रमांक
6448 पर दिनांक 03/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

03/10/2023

